



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072022-237756
CG-DL-E-30072022-237756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944

No. 3365]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3530(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 496(अ), दिनांकित 07.02.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के कि.मी. 284.170 पर लेवल क्रॉसिंग नं. 6/बी/टी और कि.मी. 303.900 पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी और इसके पहुंचमार्गों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "06.03.2022" को "दी टेलीग्राफ" और "संगबाद प्रतिदिन" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी को किसि भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के कि.मी. 303.900 पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी और इसके पहुंचमार्गों के निर्माणके लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल		जिले का नाम: पश्चिम बर्धमान			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पाण्डबेस्वर				
	गांव का नाम: दालुरबंद (जे.एल.नं.-004)				
1	RS1810	निजी	बास्तु	0.0425	धरम रुईदास, पिता- अनाथ, और अन्य (रस १८१०)
			कुल	0.0425	

[फा. सं. RW/NH-12014/WB(10)LA/16-S&R(B)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2022

S.O. 3530(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 496 (E) dated 07.02.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for “Construction of ROBs and its approaches in lieu of Level Crossing No. 6/B/T at km 284.170 and Unmanned Level Crossing at km 303.900 of NH-60 in the State of West Bengal”;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Telegraph” and “Sangbad Pratidin” both dated 06.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures for "Construction of ROB and its approaches in lieu of Unmanned Level Crossing at km. 303.900 of NH-60 in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal"

State: WEST BENGAL			District: Paschim Bardhaman		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pandabeswar				
	Village: Dalurband (J.L. No. -004)				
1	RS1810	Private	Bastu	0.0425	Dharam Ruidas, S/o Anath & Other RS 1810
			TOTAL	0.0425	

[F. No. RW/NH-12014/WB(10)LA/16-S&R(B)/3D]

RAJESH GUPTA, Director